उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-9/2016-एस0ई0-4-2374/दस-2016-ई0एम0-24/08
लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2016-एस0ई0-4-493/दस-2016-ई0एम0-24/2008टी0सी0, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के अनुक्रम में वित्त (वेतन आयोग) से संबंधित कार्य हेतु वित्त विभाग में सचिव, वेतन आयोग एवं पदेन सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के सृजित अस्थायी नि:संवर्गीय पद की अवधि दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक बढ़ाये जाने एवं इस पद पर श्री अजय अग्रवाल, सचिव को संविदा के आधार पर दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक की अवधि के लिए पुनर्योजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पद पर पुनर्योजन के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-4-2019/दस-2012, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 में निर्धारित सेवा शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2016-एस0ई0-4-2374(1)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग।
(4) सचिव, कार्मिक विभाग।
(5) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) इरलाचेक अनुभाग/वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/10
(9) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(10) संबंधित अधिकारी।
(11) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in